



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राज.-302001
Tel. 0141-2220743/Fax-0141-2223251
E-Mail. smc-raj@esic.nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11/पीटीएमआर-नियुक्ति/एसएमसी/08

दिनांक 30.11.2009

:- वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश सं. 6 :-

मुख्यालय के निर्देशानुसार पीटीएमआर नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-Ed.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपी गई शक्तियों के अधीन एवं मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008, 21.10.2008 व 2.9.09 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है:-

क. सं.	नामित डॉक्टर का नाम व पता	अवधि	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	2		3	4	5
1	डॉ. रमेश नारायण लढढा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज एवं महाराणा भूपाल जनरल हॉस्पिटल, उदयपुर	1.12.2009 से 30.11.2010	उदयपुर व सम्बद्ध क्षेत्र कांकरोली व सम्बद्ध क्षेत्र	32575 6666	33163 7049

उक्त अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 3 सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक सत्र की अवधि 2.00 घंटे होगी।

मुख्यालय के पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 के अनुक्रम में उक्त वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी जो राज्य सरकार के पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं, को प्रतिमाह रिमुनेरेशन (Remuneration) इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.10.2009 के साथ प्रेषित मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: यू-13/12/13/2005 मेड-1 दिनांक 2.9.09 के अनुसार देय होगा। प्रति पुनः संलग्न है।

क्रमशः... 2

उक्त वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपने सभी सत्रों के लिए प्रतिमाह रूपये 100/- रिमुनेरेशन (Remuneration) पर एक अंशकालिक लिपिक रखेंगे।

उक्त अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी बीमितों को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 1, रोड नं. 10, अशोक नगर, उदयपुर में देखेंगे।

संबंधित शाखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ कि वे नामित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के लिए arrangement for supply of necessary and other materials E.I. extract of ESI Act. Medical Manual and LO Manual उपलब्ध करवाएंगे।

संलग्न: यथोपरि

राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: यू-13/12/13/2005 मेड-1 दिनांक 2.9.09 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी।
2. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
3. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
- 8- उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त आदेश निगम के राजस्थान क्षेत्र की वेबसाइट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
9. शाखाधिकारी (पी.आर.), क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
10. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
11. सहायक निदेशक (वित्त), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
12. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर व कांकरोली को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय निश्चित करें एवं शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
13. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।

14. सूचना पट्ट

15. जारी करें